न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास डॉ. भँवरलाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 21/2021

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री छगनलाल पुत्र श्री धर्माराम जाति कुम्हार निवासी आरासना तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 19/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 के विरूद्ध दिनांक 06.12.2021 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा ग्राम आरासना पटवार हल्का वीरवाडा तलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 664 रकबा 0.03 किस्म गै.मु.पत्थर पर अपीलार्थी का अवैध बोरवेल व निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को गैर हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि अपीलांट व अन्य कुल 11 सहखातेदारान की कृषि भूमि वेरानामें बामनीवाला सरहद आरासना में आई हुई है, ... उक्त विवादित आराजी आई हुई है, जिस पर वीर बावसी का स्थान आया हुआ है। इस स्थान पर में अपीलांट व अन्य सहखातेदारान ने छाया हेतु व दर्शनार्थियों के बैठने के लिए वहां पर करीबन नब्बे वृक्ष लगाए है, जो वर्तमान में दस फीट की ऊंचाई में खडे है एवं इनकी सार संभाल एवं देखरेख हेतु एक बोर भी खोद रखा है जिसमें जनरेटर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पानी निकाल कर इन वृक्षों को पिलाया जाता है तथा पशु पक्षियों के पानी पीने हेतु पास में नाडी है, जिसमें पानी भरते है। इस प्रकार जनहितार्थ कार्य किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलांट ने खसरा संख्या 664 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों द्वारा वीर बावसी मन्दिर के आसपास पेड पौध लगाए है, जो मौके पर मौजूद है, लेकिन इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा बोरवेल लगाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि राजकीय बेशकीमती भूमि है, जिस पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हु कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन पत्थर दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2078 खरीफ मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादि[illegible]क्त करने की अपेक्षा की गई थी। उक्त नोटिस अपीलांट [illegible] कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामि[illegible] न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद [illegible] एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट उपस्थित बताया गया है, जिसमें अपीलांट के स्वयं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

B-l-r
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का तेलपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा आरासना पटवार हल्का तेलपुर के खसरा संख्या 664 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन पत्थर पर अपीलांट ने अवैध बोरवेल व कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 664 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों के द्वारा उक्त आराजी पर बने वीर बावसी मन्दिर के आसपास पेड पौधे लगाए गए है, जो मौके पर मौजूद है, उनकी सार संभाल व देखरेख हेतु एक बोरवेल लगा रखा है, जिनसे जनरेटर से पानी निकालकर इन वृक्षों को पिलाया जाकर जनहितार्थ कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो तहसीलदार पिण्डवाडा से जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1064 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मौजा आरासना के खसरा संख्या 664 रकबा 2.15 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन पत्थर राजस्व रेकर्ड अनुसार बिलानाम दर्ज है एवं वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 664 में लगभग 0.03 बीघा भूमि पर अपीलांट श्री छगनलाल पुत्र श्री धर्माजी जाति कुम्हार निवासी आरासना द्वारा अवैध कब्जा कर बोरवेल खोदा हुआ है एवं अपीलार्थी श्री छगनलाल पुत्र श्री धर्माजी उक्त बोरवेल का उपयोग खसरा संख्या 664 से लगती हुई अपने स्वयं की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 652 से 663, खसरा संख्या 666 से 669, व 671 से 682 में सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जाता है तथा खसरा संख्या 679 में गै.मु.बेरा स्थित है एवं खसरा संख्या 664 की शेष भूमि मौके पर पडत है तथा मौके पर पत्थर है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 664 की भूमि पर अवैध रूप से बोरवेल निर्माण करवाया हुआ है, जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा अपनी स्वयं की संयुक्त खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु लिया जा रहा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि उक्त बोरवेल का उपयोग अपीलांट द्वारा वीर बावजी मन्दिर पर लगे वृक्षों को पानी पिलाने हेतु काम में लिया जा रहा है परन्तु तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त बोरवेल का उपयोग अपीलार्थी द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु लिया जा रहा है। अतः अपीलांट अधिवक्ता का उक्त बोरवेल का उपयोग जनहितार्थ लिए जाने का कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner